

2025/695

खासगीज

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

16.4.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
मदनलाल बनाम मंगतूराम आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 480 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
27.08.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 26.09.2025 को पेश हो।	
26.9.2020	<p>कुल्लाए कलक्टर उपखण्ड/PU माहंगा गा.देवा.जिला</p> <p>पत्रावली पेश की</p> <p>दिनांक 26.9.2020</p>	
5.12.2020	<p>कुल्लाए कलक्टर उपखण्ड/PU माहंगा गा.देवा.जिला</p> <p>पत्रावली पेश की</p> <p>दिनांक 5.12.2020</p>	
6.2.2021	वकील वादी उपस्थित पुनः सम्मन पेश होम पर प्रतिवादी की तल्ब की जाकर पत्रावली आ.ता. 15.4.2021 को पेश हो।	
15.4.2021	वकील वादी उपस्थित पुनः सम्मन। तल्बवाना पेश होने पर पत्रावली पेश की तल्ब की जाकर पत्रावली आ.ता. 15.4.2021 को पेश हो।	
16.4.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी स्वयं को जर-जर आवाज लगाकर फिट भी इजिल नहीं। बाद वकील अदर हाजिर व अदर के ली में खासगीज किया जा रहा है। पत्रावली नाखर से अदर की जाकर बाद वकील व वादी ल जास्ता फाजिल इफर हो।	

